

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन कार्यो के संग अभियान-2021 के सम्बन्ध में लुटरीकरण

प्रकरण संख्या: 992/21

दिनांक - 16.11.2021

प्रशासन कार्यो के संग अभियान-2021

उत्तर

श्री सरोज सिंह पुत्र सोहन लाल के नाम सरकार जारिमे तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

जहाँ की खाता दुसरी प्रकृत पर और उसके साथ संलग्न दरतापैज पटवारी हस्त लुटरीकरण अ. नि लुटरीकरण नामक तहसीलदार / तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुसार अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 34 के अनुसरण में नाम लुटरीकरण प. ह. लुटरीकरण की वर्तमान जमादन्दी संख्या 2-75-78 के खाता संख्या 49 में प्राचीनता की दृष्टि

सोहन पुत्र सोहन

के स्थान पर सरोज सिंह पुत्र सोहन लाल

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये

h  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि -

- 1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें
- 2. प्राचीनता सरोज सिंह पुत्र सोहन लाल
- 3. रक्षित प्रभावती

h  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा